

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

IA 867& 868

IN

EA 36/2023

IN

OA 329/ 21

IN THE MATTER OF

DEBANSHU BOSE.

APPLICANT

VERSUS

AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS.

RESPONDENTS

AND IN THE MATTER OF

---

1- MAHENDRA KUMAR SARASWAT

2- DORI LAL YADAV

ADDITIONAL DOCUMENTS FILED ON BEHALF OF AFOREMENTIONED INTERVENERS  
IN IA 867& 868

1- That the above titled OA was filed against failure of state authorities to prevent discharge of sewage on open land from Nalanda Town Colony, a housing project developed by Nalanda Builders and Developers India Limited Agra.

Hon'ble Tribunal vide its order dated 24/03/22 and final order dated 18/01/23 held ADA primarily responsible for this failure and issued directions to take remedial measures in addition to imposition of Rs 22500000/ on ADA.

Details of Non compliance of orders of Hon'ble Tribunal dated 18/01/23 have already been submitted in EA 36/2023 and IA 867 & 868. Applicants are not repeating those for the sake of brevity.

2- The applicants craves liberty to raise additional submissions for proper adjudication in case if need arises during the course of argument.

-2-

PENDENCY OF EXTERNAL DEVELOPMENT WORKS AND NON COMPLETION  
THEREOF BY AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY

---

That some external development works, for which external development charges have already been recovered by Agra Development Authority long ago from project proponents, are still pending. Neither sewer line nor drainage has been constructed in surrounding areas of Nalanda Town Colony for disposal of excess treated water/ storm rain waters and sewerage of colonies of surrounding areas nor any proposal for construction thereof has been sent to government/ concerned ministry for approval and no correspondence thereon made to government as is evident from reply of PIO AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY on RTI APPLICATION OF APPLICANT NO 2 .

Copy thereof is annexed herewith as attachment in pdf.

It is submitted that no prejudice will be caused to Respondents if these documents are placed on record.

It is therefore most respectfully requested these additional documents may please be allowed to be kept on record in the interest of justice.

Deponent.

Deponent



Mahendra Kumar Saraswat.

Dori Lal Yadav

सेवा में,

श्री डी.एल. यादव,

नि0-277ए, नालन्दा टाउन कालोनी  
शमशाबाद रोड, आगरा

विषय :- ऑनलाईन प्राप्त जनसूचना शिकायत सं0-ARDPA/R/2023/60083 दिनांक 14.07.23  
के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि आप द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत छः बिन्दुओं के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई है, जिसके सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	आख्या
01	ओ.ए. 329/2 में एन.जी.टी. नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में नालन्दा टाउन कालोनी शमशाबाद रोड आगरा के पास ड्रेनेज/सीवर लाइन के निर्माण में शासन को भेजे गये प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराये।	शमशाबाद रोड आगरा के पास ड्रेनेज/सीवर लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है।
02	इस सम्बन्ध में शासन/सम्बन्धित विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराये।	शमशाबाद रोड आगरा के पास ड्रेनेज/सीवर लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु 138वीं साधारण बोर्ड बैठक में रखा गया था, जिसे बोर्ड द्वारा वर्तमान में वर्षा जल निकासी का प्रस्ताव एन.जी.टी. के आदेश के क्रम में पोषणीय नहीं है। तदनुसार बोर्ड द्वारा प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया।
03.	कृपया प्रारम्भिक प्रस्ताव भेजने के बाद इस मामले के सम्बन्ध में सरकार/सम्बन्धित विभाग के साथ कोई संचार हो तो उसकी प्रति प्रदान करें।	शासन से कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

बिन्दु सं0-04, 05 एवं 06 के सम्बन्ध में भवन अनुभाग की आख्या साथ में संलग्न है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

  
10/08/23

जनसूचना अधिकारी (खण्ड-2)

प्रतिलिपि :-

नोडल अधिकारी (जनसूचना) को पत्रांक 44/डी/नोडल(ज.सू.)/23-24 दिनांक 28.06.23 के क्रम में सूचनार्थ।

जनसूचना अधिकारी (खण्ड-2)

जनसूचना अधिकारी (भवन),

कृपया नोटल अधिकारी जनसूचना के कार्यालय online आवेदन ARDPA/R/2023/60083 पत्र के क्रम में वांछित सूचना निम्नवत् है :-

आवेदक का नाम व पता : श्री डी0एल0 यादव, पता:-277ए, नालन्दा टाउन कालौनी, शमशाबाद रोड, आगरा।

आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना प्राधिकरण के भवन अनुभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु 01-सूचना अभियन्त्रण खण्ड से सम्बन्धित है।

बिन्दु 02-सूचना अभियन्त्रण खण्ड से सम्बन्धित है।


बिन्दु 03-सूचना अभियन्त्रण खण्ड से सम्बन्धित है।

बिन्दु 04-एस0टी0पी0 निर्माण हेतु प्रेषित पत्रों की छायाप्रति हेतु रू0 308.00 (पृष्ठ 154 प्रति पृष्ठ छायाप्रति रू0 2.00) प्राधिकरण कोष में नियमानुसार जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर आवेदक को एस0टी0पी0 निर्माण हेतु प्रेषित पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करा दी जायेगी।

बिन्दु 05-जयपुरिया सनराईज ग्रीन, जयपुरिया सनराईज ग्रीन-1, जयपुरिया सनराईज ग्रीन-2, जयपुरिया सनराईज ग्रीन-3, जयपुरिया सनराईज ग्रीन-4, गोविन्द विहार फेस-1, ब्लू स्कायर होम, कैलाश रेजीडेन्सी, कैलाश रेजीडेन्सी-2, विश्वकर्मा गार्डन, विभव विहार, विनायक विहार, विश्वकर्मा एमाजोन, मारुति प्रवाशम एवं वाघवा पाम रेजीडेन्सी कालोनियों में एस0टी0पी0 निर्मित हैं।

बिन्दु 06-आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं है।

लिपिक (भवन)  
05/08/23

  
सहायक जनसूचना अधिकारी (भवन)